राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर

क्रमांक : प.1(63)ADR/RTI Cell/2014/ 127 दिनांक : 18/5/14.

–:: परिपत्र ::–

प्रायः यह देखने में आया है कि आम नागरिकों द्वारा सूचना का अधिकार–2005 के अन्तर्गत सूचना चाहने हेतू आवेदन किये जाने पर सम्बन्धित लोक सूचना अधिकारियों द्वारा समय पर सूचना सम्प्रेषित नहीं की जाती है, जिसके कारण अधिनियम की धारा 19(1) के अन्तर्गत मण्डल प्राधिकरण में प्रथम अपील होने पर सम्बन्धित लोक सूचना अधिकारियों/सहायक लोक सूचना अधिकारियों को अपील प्राधिकरण की और से मीमों जारी होने के उपरान्त भी अपीलोत्तर अपील प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया जाता है अथवा वांछित सूचना का सम्प्रेक्षण विलम्ब से किया जाता है एवम् कई बार अपील की द्विपक्षीय सुनवाई के दौरान सूचना सम्प्रेषित की जाती है, यह भी देखा गया है कि प्रेषित सूचना या तो आंशिक सूचना विलम्ब से प्रेषित की जाती है तथा प्रेषित सूचना का जवाब तथा अपीलोत्तर तृटिपूर्ण होता है, कई बार तो सम्बन्धित लोक सूचना अधिकारी सुनवाई के दौरान उपस्थित ही नही होते है जो कि एक गम्भीर विषय है।

सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 के अन्तर्गत अपीलो का अपीलोत्तर सही प्रकार से नही देना ना केवल सम्बन्धित लोक सूचना अधिकारी की लापरवाही है, अपितु जानबुझकर अनभिज्ञता का प्रर्दशन भी है, यह भी उल्लेखनीय है कि प्रथम अपीलीय प्रकरण में आदेश निर्णित होने के उपरान्त भी सम्बन्धित लोक सूचना अधिकारी द्वारा पालना न कर उच्च अधिकारियों से अनावश्यक पत्राचार किया जाता है, जिससे अपीलार्थी इस भ्रम में रहता है कि अब किस लोक सूचना अधिकारी द्वारा अपीलीय आदेश की पालना की जावेगी, यह भी गम्भीर स्थिति है।

अतः राजस्थान आवासन मण्डल के समस्त पदाभिहित लोक सूचना अधिकारियों/सहायक लोक सूचना अधिकारियों को पुनः निर्देश दिये जाते है कि सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 के अन्तर्गत आम नागरिकों द्वारा सूचना चाहने पर निर्धारित समयावधि में सूचना का सम्प्रेषण करे, प्रथम अपील होने पर अपील प्राधिकरण के मीमों में निर्देशानुसार चाही गई पूर्ण सूचना के साथ अपीलोत्तर प्रस्तुत करे, राजस्थान सूचना आयोग से प्राप्त नोटिसों का अपीलोत्तर निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत करे, तथा प्रथम अपील अधिकारी/राजस्थान सूचना आयोग में सुनवाई हेतु नियत तिथि पर आवश्यक

कृ.प.उ. ......

रूप से उपस्थित होवे तथा अपील प्राधिकरण/राजस्थान सूचना आयोग द्वारा अपीलो में दिये गये आदेशों की अक्षरशः पालना सुनिश्चित करे साथ ही राज्य सरकार को प्रेषित की जाने वाली सूचनाऐं निर्धारित प्रपत्र–3 जो परिशिष्ट–1 पर सलग्न किया गया है, में प्रत्येक माह की 5 तारीख से पूर्व (मुख्यालय) स्थित सूचना प्रकोष्ठ में आवश्यक रूप से भिजवाई जावे। उक्त आदेशों की अवहेलना करने पर सम्बन्धित लोक सूचना अधिकारी/सहायक लोक सूचना अधिकारी के विरूद्व नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी।

(आनन्द कुमार)
आवासन आयुक्त

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. निजी सचिव, अध्यक्ष/आवासन आयुक्त, राज. आवा. मण्डल, जयपुर।
2. तकनीकी सहायक–अध्यक्ष/आवासन आयुक्त/मुख्य अभियंता–प्रथम, द्वितीय एवं मुख्यालय, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
3. सचिव/वि.स. एवं मुख्य लेखाधिकारी/मुख्य सम्पदा प्रबन्धक/निदेशक (विधि), अति. मुख्य नगर नियोजक/विशेषाधिकारी (भूमि)/सम्पदा प्रबन्धक (अभिलेख)/उप सचिव/सहायक निदेशक (जनसंपर्क)/उप आवासन आयुक्त (Q.C.)/सम्पदा प्रबन्धक (भूमि), राज. आवा. मण्डल, जयपुर।
4. अतिरिक्त मुख्य अभियंता–प्रथम, द्वितीय, तृतीय व (P&M), राज. आवा. मण्डल, जयपुर।
5. उप आवासन आयुक्त, वृत्त .... राज. आवा. मण्डल, ...
6. तकनीकी सहायक, वृत्त .... राज. आवा. मण्डल, ...
7. आवासीय अभियंता, खण्ड .... राज. आवा. मण्डल, ...
8. परियोजना अभियंता (वरिष्ठ) उपखण्ड .... राज. आवा. मण्डल, जयपुर।
9. संयुक्त निदेशक (S.A.), कम्प्यूटर प्रकोष्ठ, राज. आवा. मण्डल (मु.), जयपुर।
10. रक्षित पत्रावली।

15/5/14
(दिनेश कुमार पंवार)
सचिव

प्रपत्र–3

माह : –

		लोक सूचना अधिकारी के पास प्राप्त आवेदनों की स्थिति माह में प्राप्त आवेदन				माह में निस्तारित आवेदन				
क्रं. सं.	लोक प्राधिकरण	गत माह के अन्त में लंबित	लो.सू.अ. के यहां सीधे प्राप्त	स.लो.सू.अ. से प्राप्त	अन्य लो.सू.अ. से प्राप्त	कुल	स्वीकृत	अस्वीकृत	अन्य लो.प्रा.को संदर्भित	माह के अन्त में लंबित आवेदन
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

	अपील अधिकारी के यहाँ दर्ज अपीलों की स्थिति				लो. सू. अधि. को प्रताडना / दण्ड	
गत माह के अन्त में लंबित	नई दर्ज	स्वीकृत	अस्वीकृत	लंबित	प्रताडना	दण्ड
12	13	14	15	16	17	18

लोक प्राधिकरण द्वारा अधिनियम को परिवर्तित करने के लिए किए गए प्रयास सुझावों का वितरण	
सुझाव	प्रयास
19	20